

**Central Goods & Services Tax Act, 2017**

**Section 159 : Publication of information in respect of persons in certain cases**

- (1) If the Commissioner, or any other officer authorised by him in this behalf, is of the opinion that it is necessary or expedient in the public interest to publish the name of any person and any other particulars relating to any proceedings or prosecution under this Act in respect of such person, it may cause to be published such name and particulars in such manner as it thinks fit.
- (2) No publication under this section shall be made in relation to any penalty imposed under this Act until the time for presenting an appeal to the Appellate Authority under section 107 has expired without an appeal having been presented or the appeal, if presented, has been disposed of.

***Explanation.***—In the case of firm, company or other association of persons, the names of the partners of the firm, directors, managing agents, secretaries and treasurers or managers of the company, or the members of the association, as the case may be, may also be published if, in the opinion of the Commissioner, or any other officer authorised by him in this behalf, circumstances of the case justify it.

---

**धारा 159 : कतिपय मामलों में व्यक्ति के विषय में सूचना का प्रकाशन**

- (1) यदि आयुक्त, या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी की यह राय है कि किसी व्यक्ति के संबंध में इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही या अभियोजन के संबंध में ऐसे व्यक्ति के नाम और किन्हीं अन्य विशिष्टियों का प्रकाशन लोकहित में आवश्यक या समीचीन है, ऐसी रीति में जो वह ठीक समझे, ऐसे नाम और विशिष्टियों का प्रकाशन कर सकेगा।
- (2) इस धारा के अधीन कोई प्रकाशन इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित किसी शास्ति के संबंध में तब तक नहीं किया जाएगा जब तक धारा 107 के अधीन अपील प्राधिकारी को कोई अपील प्रस्तुत करने के लिए समय का किसी अपील को प्रस्तुत किए बिना अवसान नहीं हो जाता है या कोई अपील यदि प्रस्तुत की जाती है, का निपटारा कर दिया गया है।

**स्पष्टीकरण**—फर्म, कंपनी या व्यक्तियों के अन्य संगम की दशा में, यथास्थिति, फर्म के भागीदारों, कंपनी के निदेशकों, प्रबंधकीय अभिकर्ताओं, संचिवों और कोषाध्यक्षों या प्रबंधकों या संगम के सदस्यों का नाम प्रकाशित किया जा सकेगा, यदि आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी की राय में मामले की परिस्थिति इसे न्यायोचित ठहराती है।